

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांक एफ 8(8)वियो/सुप-1/99

जयपुर, दिनांक: 29/05/06

-आदेश-

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.2.06 में सशोधन करते हुए कार्यांक (क-3) विभाग के परिपत्र एफ 9(2)(69)कार्मिक/क-3/97पार्ट-1 दिनांक 23 जुलाई, 2001 की अनुपालना में कार्य स्थल पर काम-काजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं ऐसी गठित घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही हेतु समिति की निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्रीमती पवित्रा भट्ट,
सांख्यिकी सहायक (ग्रा.रो) | अध्यक्ष |
| 2. श्री प्रहलाद चन्द शर्मा
परियोजना अधिकारी (प्रशासन) | सदस्य |
| 3. श्री रमन पारीक
अध्यक्ष, अखिल राजस्थान ग्रामीण विकास
विभाग कर्मचारी संघ | सदस्य |
| 4. श्रीमती कुसुम जैन
वरिष्ठ लिपिक | सदस्य |
| 5. श्री उत्तम सिंह
मुख्य विधि सहायक | सदस्य सचिव |

उक्त समिति ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत मंत्रालयिक/अधीनस्थ सेवा के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करेगी। उक्त समिति द्वारा शिकायतों/क्रियाकलापों की समीक्षा 3 माह में एक बार करेगी, जिसका पूर्ण कार्यवाही/विवरण सदस्य सचिव निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। शिकायतों का इन्द्राज एक रजिस्टर में किया जायेगा, जिसका सधारण कार्यालय अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

साथ ही शिकायत समिति के कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट 30 जून तक सदस्य सचिव द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर को भिजवायी जायेगी।

६०-

शासन उप सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राज, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-ख-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज, जयपुर।
4. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य महिला आयोग, लालकोठी, टोक रोड, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (समस्त) ग्रामीण विकास विभाग, राज, जयपुर।
6. समिति के समस्त सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी।
7. नोटिस बोर्ड।
8. रक्षित पत्रावली।


अनुभागाधिकारी